कार्यालय–जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

पत्रावली–प.जि.न्याया. / अभिलेखागार / रद्दी / 2024–25 / 14593 - 14617 दिनांक 09/09/2024

:–रद्दी नीलामी सूचना–: **GF&AR** पार्ट-II, नियम–25

सर्वसाधारण एवं विशेषकर स्क्रैप का कार्य करने वाली इच्छुक फर्मो / व्यक्तियों / कबाड़ी जो वस्तु एवं सेवा कर (G.ST.) के अन्तर्गत पंजीकृत है को सूचित किया जाता है कि जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा के केन्द्रीय अभिलेखागार में संग्रहित **तल्फी (वीडिगशुदा)** रद्दी को निम्नांकित विवरण एवं शर्तोनुसार सार्वजनिक नीलामी प्रक्रिया से (जिस स्थिति में है उसी स्थिति में) न्यायालय परिसर में **दिनांक 07.10.2024 को 2:00 पी.एम. से विक्रय प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।** तद्नुसार इच्छुक बोलीदाता वांछित बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) जमा करवाकर बोली प्रक्रिया में भाग ले सकते है।

क्र. सं.	विक्रय मद	अनुमानित मात्रा	आरक्षित दर (प्रारम्भिक बोली)	बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) नकद /बैंक ड्राफ्ट	नीलामी दिनांक समय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	तल्फी रद्दी	6000 Kg	20/- प्रति किलो	5000/-	07.10.2024. 2:00पी.एम. से	GST @ 5 % अलग से देय

नीलामी शर्तो को जिला न्यायालय, कोटा की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in /kota पर भी देखा जा सकता है।

नीलामी की वांछित शर्ते:–

1. राज्य वस्तु एवं सेवा कर (S.G.ST.) अधिनियम–2017 की धारा–24 (iii) के अन्तर्गत देय G.ST. रिवर्स चार्ज के तहत जमा करवाने हेतु, **नीलामी में बोली लगाने हेतु व्यवहारी को (G.ST.) के अन्तर्गत पंजीयन धारी होना अनिवार्य है।**
2. नीलामी बोली प्रारम्भ होने से पूर्व **प्रत्येक बोलीदाता को बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) 5000/– नकद अथवा** जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा के पक्ष में बैंकर चैक/डी.डी. से जमा करवाना होगा।
3. नीलामी में निर्धारित समय तक उपस्थित होने वाले बोलीदाताओं द्वारा, **बोली प्रक्रिया प्रारम्भ होने से पूर्व तक बयाना राशि जमा करवाई जा सकेगी।** एक बार बोली प्रारम्भ होने के पश्चात् बोली प्रक्रिया के मध्य अन्य बोलीदाता से बयाना राशि स्वीकार नहीं की जावेगी तथा ऐसे बोलीदाता को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. नीलामी प्रति किलोग्राम की दर से की जावेगी तथा **प्रत्येक बोली कम से कम 10 पैसे के गुणांक में लगाई जावेगी। लम–सम (एक मुश्त) बोली स्वीकार नहीं की जावेगी तथा इसे निलामी शर्तो का उलंघन माना जाकर सम्बंधित बोलीदाता की जमा बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त होने के दायित्वाधीन होगी ।**
5. नीलामी समिति को बिना कारण बताए नीलामी तिथि स्थगित करने तथा अंतिम बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा। वास्तविक रद्दी की मात्रा, अनुमानित मात्रा से कम–ज्यादा हो सकती है।
6. **रद्दी जैसी है, उसी हालत में मौके पर विक्रय की जावेगी।** रद्दी की मात्रा व हालत को जिला न्यायालय के अभिलेखागार में किसी भी कार्य दिवस को अथवा नीलामी से पूर्व देखा जा सकता है। तथापि किसी भी प्रकार के माल की छटनी/विभाजन की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।

7. नीलामी के सफल बोलीदाता को **मौके पर ही नीलामी दिवस को राशि 10000/– जमा कराये जाना अनिवार्य होगा।** उक्त राशि नीलामी शर्तों की पालना नहीं करने पर जब्त करने के दायित्वाधीन होगी।
8. नीलामी के सफल बोलीदाता को विक्रय किया जाने वाला माल तौलने के पश्चात्, **विक्रय राशि उसी दिन जिला न्यायालय, कोटा में जमा करवानी होगी।** तथापि सम्पूर्ण विक्रय राशि जमा होने के बाद ही माल सुपुर्द किया जावेगा।
9. अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में नीलामी स्वीकार करना/नहीं करना/स्थगित करना/तिथि आगे बढ़ाने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
10. नीलामी के सफल खरीददार को **विक्रय किए जाने वाला माल स्वयं के परिवहन खर्च पर इलेक्ट्रोनिक धर्म कॉटे अथवा स्वयं के इलेक्ट्रॉनिक कॉटे से तुलवाना होगा।** तुलवाने की प्रक्रिया का भराई–ढुलाई इत्यादि का सम्पूर्ण व्यय खरीददार को वहन करना होगा।
11. सफल बोली का अधिनिर्णय जारी होने की **तिथि से अगले दस दिवस में रद्दी तुलवाकर परिसर से उठाना होगा** अन्यथा उसके द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त करने के दायित्वाधीन होगी।
12. अधिकतम बोलीदाता के अतिरिक्त **अन्य बोलीदाताओं की धरोहर राशि नीलामी समाप्ति के तुरन्त पश्चात् लोटा दी जावेगी।** किसी भी विवाद की स्थिति में नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।
13. **रद्दी पर देय वस्तु एवं सेवाकर (G.S.T.) @ 5 % विक्रय राशि पर अलग से क्रेता को स्वयं के स्तर से चालान से राजकोष से जमा करवाना होगा।** चालान की प्रति प्राप्त होने अथवा प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में देय G.S.T. गणना के समान राशि कार्यालय में अमानती तौर पर जमा रखनी होगी। जिसे देय G.S.T. चालान की प्रति प्रस्तुत करने बाद यथावत लौटा दिया जावेगा।
14. खरीददार को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि **रद्दी का उपयोग लुग्दी बनाकर ही किया जावेगा। रद्दी को न्यायालय परिसर से खरीददार के संग्रहण/संधारण/उपचार स्थल तक सुरक्षित परिवहन कर ले जाया जावेगा** ताकि न्यायिक अभिलेख इधर–उधर फैलने व बिखरने से बचाए जा सके।
15. समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र कोटा होगा।

अध्यक्ष,
रद्दी नीलामी समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा

पत्रावली–प.जि.न्याया. / अभिलेखागार / रद्दी / 2024–25 / 14593 - 14617 दिनांक 09/09/2024
प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं उचित प्रचार के लिए नोटिस बोर्ड पर सहजदृष्य स्थान पर चस्पा करने हेतु सम्प्रेषित।

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, **राजस्थान उच्च न्यायालय**, जोधपुर।
2. श्रीमान् निदेशक, **जन सम्पर्क विभाग**, राजस्थान, सचिवालय परिसर, जयपुर।
3. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, **कोटा / जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / अजमेर / बीकानेर / बूंदी / बारां / टोंक / झालावाड़ / सवाईमाधोपुर।**
4. श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त / जिला कलेक्टर / कोषालय / नगर निगम / नगर विकास न्यास, कोटा।
5. प्रभारी अधिकारी **अभिलेखागार / नजारत / लेखा /** जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा।
6. **सिस्टम ऑफिसर,** जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन जिला न्यायालय, **कोटा की वेबसाइट पर** पर करने हेतु।
7. **रिकॉर्डकीपर, (केन्द्रीय अभिलेखागार),** जिला न्यायालय, कोटा को ज्ञात विश्वसनीय स्थानीय स्क्रेप व्यापारियों / कबाड़ियों को उक्त नीलामी बाबत समय पूर्व ज्ञापित करवाकर पर्याप्त बोलीदाताओं को आमंत्रित करने हेतु।
8. **रोकड़ियां,** जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा को नीलामी की शर्तों के अनुरूप वस्तु एवं सेवा कर (G.S.T.) के अन्तर्गत पंजीकृत पात्र व्यक्तियों / व्यवहारियों की जांच कर, इच्छुक बोली दाताओं से सहमति पत्र प्राप्त कर, नीलामी से सम्बन्धित बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) प्राप्त करने हेतु।
9. सम्बन्धित ज्ञात व्यक्ति / फर्म (कबाड़ी)..

अध्यक्ष,
रद्दी नीलामी समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा